संख्या-1153/2026/692/22-2-2026-17(301)/2026

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 01 सितम्बर, 2026

विषय:- जिला कारागार गोरखपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी निर्मल पुत्र स्व0 विदेशी उर्फ गिद्धू, निवासी जनपद-गोरखपुर की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-13424/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-दिनांक 23.02.2026, दिनांक 07.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार गोरखपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी निर्मल पुत्र स्व0 विदेशी उर्फ गिद्धू, सोनईचा, थाना-गगहा, जनपद-गोरखपुर का निवासी है। बन्दी द्वारा जमीनी विवाद के कारण दिनांक 02.09.2023 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर लाठी-डण्डा से पीटकर उमेश प्रसाद की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी०नं0-2650/2023, धारा-302/34 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्र०नि०अधि०) कोर्ट सं0-04. गोरखपुर के दण्डादेश दिनांक 24.05.2024 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में बन्दी की अपील लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक-21.06.2025 तक अपरिहार 01 वर्ष, 06 माह, 17 दिन तथा 01 वर्ष, 07 माह, 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 21.06.2025 तक लगभग 73 वर्ष, 28 दिन है।

3- सिद्धदोष बन्दी निर्मल पुत्र स्व० विदेशी उर्फ गिद्धू की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी को मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 21.06.2025 तक अपरिहार 01 वर्ष, 06 माह, 17 दिन तथा सपरिहार 01 वर्ष, 07 माह, 23 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार गोरखपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी निर्मल (बन्दी संख्या-238/2024) पुत्र स्व0 विदेशी उर्फ गिद्धू, निवासी जनपद-गोरखपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1153/2026/692(1)/22-2-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर

2- अधीक्षक, जिला कारागार गोरखपुर।

3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in